MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Iranna Kadadi: Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra) Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Smt. Sangeeta Yadav, (Uttar Pradesh) and Dr. Sasmit Patra (Odisha). Now, Shri Sanjay Kumar Jha. Demand to announce Minimum Support Price for Makhana (Foxnuts) and to include it under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) in the State of Bihar. *...(Interruptions)...*माननीय सदस्य, आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। आपके रूल 267 के बारे में ऑलरेडी चेयर का निर्णय आ चुका है, हम आपको उस पर आगे किसी चीज़ की इजाजत नहीं दे सकते हैं। Please sit down. *...(Interruptions)..* श्री संजय कुमार झा, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

Demand to announce Minimum Support Price for Makhana (Foxnuts) and to include it under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) in Bihar

श्री संजय कुमार झा (बिहार) : महोदय, बिहार में मखाना के उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग तक लगभग 5 लाख से अधिक मल्लाह, सहनी और अति पिछड़े समाज के परिवारों की रोज़ी-रोटी जुड़ी हुई है। मखाना की खेती एक असाधारण और पीड़ादायक प्रक्रिया है। पारंपरिक रूप से मखाना का उत्पादन गहरे तालाबों में होता आया है, जहाँ किसान मखाना के बीज को एकत्र करने के लिए पानी में गोता लगाते हैं। इस प्रक्रिया में समय, शक्ति और मजदूरी पर अधिक खर्च होता है।

महोदय, बिहार सरकार की सहायता से पिछले कुछ वर्षों में किसानों ने खेतों में मखाना की नर्सरी लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। खेत में नर्सरी लगाने से पहले खेत की दो-तीन बार गहरी जुताई की जाती है और लगभग 2 से 3 फीट तक पानी भरा जाता है। इस पानी को मार्च से मानसून के बारिश के आने तक बनाए रखना आवश्यक होता है, नहीं तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है।

महोदय, मखाना का फल कांटेदार और छिलकों से घिरा होता है, जिससे इसे निकालने और इसका उत्पादन में कठिनाई होती है। पानी से मखाना निकालते समय लगभग 20 से 25 प्रतिशत मखाना छूट जाता है और उतारते समय भी इतना प्रतिशत मखाना खराब हो जाता है। एक एकड़ मखाना की खेती में लगभग ₹60,000 से 75,000 तक का खर्च आता है। अमूमन मखाना की हार्वेस्टिंग करने में ही किसानों की एक तिहाई रकम खर्च हो जाती है। महोदय, हाल के वर्षों में किसानों को उचित मूल्य न मिलने की समस्या गंभीर रूप से उभरी है। मखाना का बाजार मूल्य उच्च होता है, लेकिन जैसे ही किसान अपनी फसल को बाजार में लाते हैं इसका मूल्य अचानक गिर जाता है, जिससे किसानों को उनका मेहनताना सही तरीके से नहीं मिलता और उन्हें काफी नुकसान होता है।

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या के समाधान के लिए मखाना को न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की सूची में शामिल किया जाए, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। इसके अतिरिक्त सरकारी संस्थाएं, जैसे एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा एमएसपी पर मखाना खरीदने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही मखाना को फसल बीमा योजना में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके और वे फसल की असफलता के जोखिम से बच सकें।

मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मखाना बोर्ड बनाकर मखाना किसानों की जिंदगी बदलने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया है। वह मखाना बोर्ड संबंधित आर एंड डी पर काम करेगी, नई मखाना खेती तकनीकों को विकसित करेगी, किसानों को उद्योग से जोड़ेगी और एफबीओ के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता और निर्यात के लिए सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा यह ट्रेड फेयर, ब्रांडिंग, स्टोरेज और देश विदेश में मखाना को प्रमोट करने का काम करेगी। हम आदरणीय प्रधान मंत्री को धन्यवाद देते हैं कि वे अभी मॉरीशस गए थे और वहां जाकर उन्होंने वहां के प्रधान मंत्री को मखाना ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Sanjay Kumar Jha: Shrimati Dharmshila Gupta (Bihar), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra) Shri Niranjan Bishi (Odisha) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

माननीय श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, "Concern over the problem of unauthorized parking near Supreme Court, Delhi High Court & Patiala House Court."

Concern over the problem of unauthorized parking near Supreme Court, Delhi High Court and Patiala House Court.

श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह (उत्तर प्रदेश) **:** सर, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इंडिया गेट का जो सर्कल है, वहां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पटियाला कोर्ट स्थित हैं। वहां तमाम वकीलों और तमाम मुवक्किलों, जो मुकदमा लड़ने के लिए आते हैं, उनके लिए पार्किंग की कोई जगह नहीं है। इंडिया गेट एक टूरिस्ट स्पॉट है और एक हाई सिक्योरिटी जोन भी है। वहां पार्किंग के लिए जगह न होने के कारण वकीलों को गाड़ी पार्क करने में बहुत दिक्कत आती है। वहां अपना केस लड़ने के लिए मुवक्किल भी आते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट बिल्कुल सर्किल पर स्थित है। वकील वहां पर अपनी गाड़ी पार्क करके समय पर अपना केस लड़ने नहीं पहुंच पाते हैं। वह एक हाई सिक्योरिटी जोन है। वहां वकीलों को बहुत परेशानी होती है। पटियाला हाउस कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए वहां पर एक डेजिग्नेटिड पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां इतनी गाड़ियां आती हैं और जब वे सड़क पर पार्क होती हैं, तो इससे उनको तकलीफ होती है। इसके साथ ही वह एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, जिसकी वजह से उसे देखने के लिए बाहर से तमाम लोग आते हैं, उनके लिए वहां जाम की स्थिति बन जाती है। वह एक सिक्योरिटी जोन भी है।